№ 001716

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 438

वर्ष 2005-2006

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि जन ज्ञानोदय

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख इकतीस मास मार्च वर्ष दो हजार छः को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

31.3.06

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

सेक्रेटेरियट प्रेस, राँची ।

6M

जन ज्ञानोदय

का

<u>स्मृति–पत्र</u>

1. संस्था का नाम :– " जन ज्ञानोदय "।

2. संस्था का निबंधित कार्यालय :– इस संस्था का निबंधित कार्यालय (श्री मोती महतो के मकान में) ग्राम– मधवाटांड, पो0–मकतपुर, थाना–जयनगर भाया मरकच्चो, जिला–कोडरमा (झारखण्ड) में होगा।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

4. संस्था का उदेश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित उदेश्य रहेंगे:–

1. संस्था समाज के सभी वर्गों के महिलाओं एवं बच्चों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से जन शिक्षा, नारी शिक्षा, बाल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करेगी साथ ही रात्रि पाठशाला, आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, की स्थापना एवं उसका संचालन करने का प्रयास करना।

2. संस्था समाज के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वनियोजित बनाने के उद्देश्य से व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करेगी साथ ही स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए प्रेरित करते हुए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित उद्योग के लिए प्रोत्साहित करेगी।

3. संस्था स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रमों का संचालन करेगी साथ ही पारामेडिकल, नर्सिंग प्रशिक्षण, जच्चा–बच्चा रक्षक टीकाकरण, पल्स पोलियो टीकाकरण, एड्स नियंत्रण, यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करेगी साथ ही स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करेगी।

लक्ष्मी देवी